न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 215/2025(GCMS : 2025/332)

पंजाब नेशनल बैंक शाखा रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर जरिये श्री कैलाश असवाल, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालय नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

श्री दया राम बेनीवाल पुत्र श्री रामरख बेनीवाल, बेनीवाल इंडस्ट्रीज, प्लॉट नं. एच–88, रिको इंडस्ट्रियल एरिया, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर(राज.) – 333501 एवं गांव 5 पीबीएन, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़(राज.) –335803

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.09.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी दयाराम बेनीवाल को ऋण सुविधा के रूप में 19.00/–लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 30.06.2025 को 4,17,280/– रूपये की वसूल की जाने वाली राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी दया राम बेनीवाल द्वारा बंधक रखी अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति Hypothecation Machinery & Stock एवं इंडस्ट्रियल फैक्ट्री, भूमि व भवन स्थित प्लॉट नं. एच–88, रिको इंडस्ट्रियल ऐरिया, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 700 वर्गमीटर (बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाएं : पूर्व – प्लॉट नं. एच 87, पश्चिम प्लॉट नं. एच–89, उत्तर – रोड, दक्षिण– एच टाईप प्लॉट)**, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी दयाराम [illegible] को ऋण सुविधा के रूप में दिनांक 22.02.201[illegible] को 14.25/– लाख रूपये एवं दिनांक 30.09.2022 को 4.75/– लाख रूपये कुल 19.00/– ([illegible] रूपये उन्नीस लाख मात्र) **की स्वीकृति प्रदान की गई थी और** ऋण [illegible] सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी दया राम बेनीवाल ने अपनी **चल एवं अचल सम्पत्ति Hypothecation Machinery & Stock एवं इंडस्ट्रियल फैक्ट्री, भूमि व भवन स्थित प्लॉट नं.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:35:40 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

एच–88, रिको इंडस्ट्रियल ऐरिया, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 700 वर्गमीटर (बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाएं : पूर्व – प्लॉट नं. एच 87, पश्चिम प्लॉट नं. एच–89, उत्तर – रोड, दक्षिण– एच टाईप प्लॉट), प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 26.06.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) की विधिक तामील हो गई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों / जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी दया राम बेनीवाल की चल एवं अचल सम्पत्ति Hypothecation Machinery & Stock एवं इंडस्ट्रियल फैक्ट्री, भूमि व भवन स्थित प्लॉट नं. एच–88, रिको इंडस्ट्रियल ऐरिया, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 700 वर्गमीटर (बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाएं : पूर्व – प्लॉट नं. एच 87, पश्चिम प्लॉट नं. एच–89, उत्तर – रोड, दक्षिण– एच टाईप प्लॉट), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:35:40 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 1[illegible] के [illegible] नोटिस 19.07.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार [illegible] 19.07.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) [illegible] नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 20.07.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी

Manju

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पत्रावली में **उपलब्ध** है, जिसके **अनुसार** अप्रार्थीगण को **13(2)** के नोटिस **प्राप्त हो गये है। जिसके अनुसार** अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **दया राम बेनीवाल** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणी दया राम बेनीवाल द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई चल एवं अचल सम्पत्ति Hypothecation Machinery & Stock एवं इंडस्ट्रियल फैक्ट्री, भूमि व भवन स्थित प्लॉट नं. एच–88, रिको इंडस्ट्रियल ऐरिया, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.) बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 700 वर्गमीटर (बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाएं : पूर्व – प्लॉट नं. एच 87, पश्चिम प्लॉट नं. एच–89, उत्तर – रोड, दक्षिण– एच टाईप प्लॉट), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:35:40 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर